मानव व्यापार कानूनी संधर्व टूलकिट

बँधुवा श्रम हस्तछेपों की SOP

बंधुआ श्रम के पीड़ितों की बहाली की कार्यविधियाँ

बंधुआ श्रम के पीड़ितों की बहाली की कार्यविधियों का सारांश

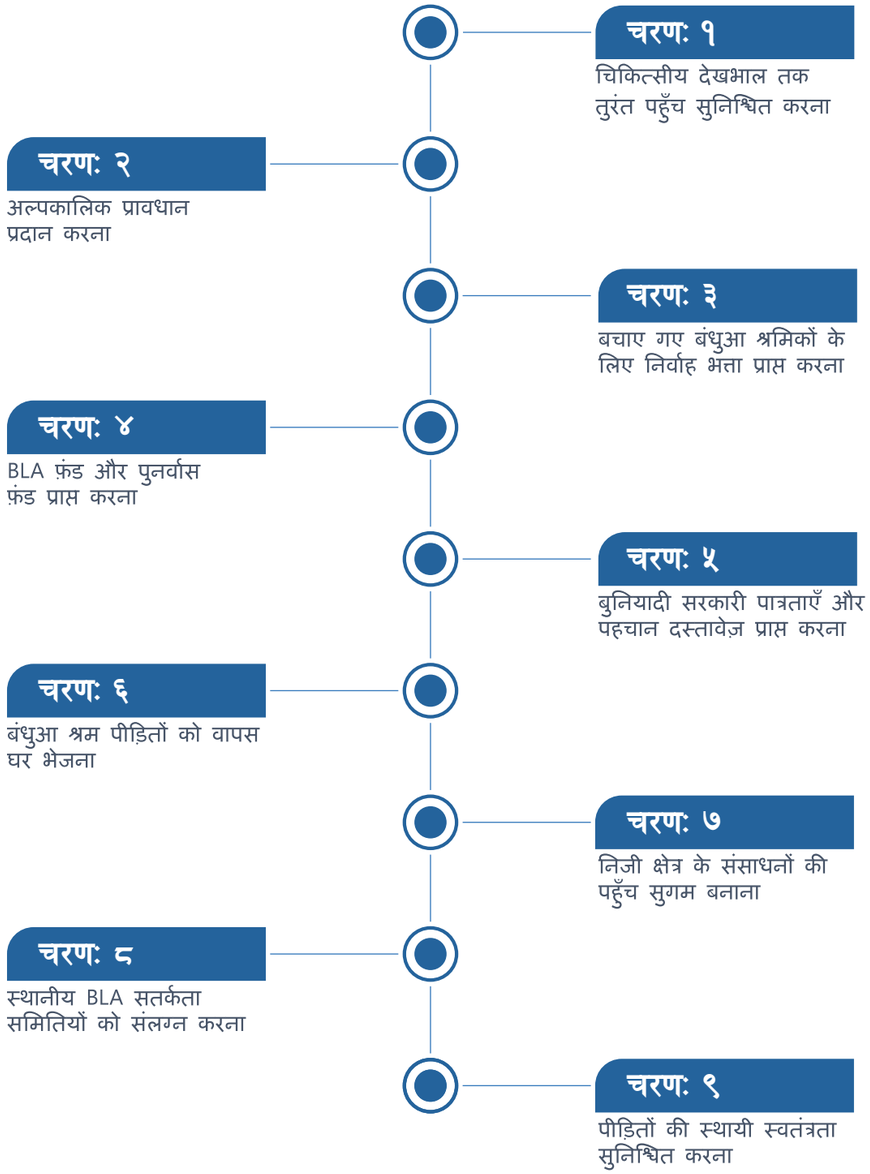

चरण 1 चिकित्सीय देखभाल तक तुरंत पहुँच सुनिश्चित करना

समयसीमा: बचाव से 48 घंटों के भीतर चिकित्सीय देखभाल तक पहुँच प्रदान की जानी चाहिए।

NGO	अधिवक्ता
NGO को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बंधुआ श्रम पीड़ितों की चिकित्सीय जाँच हो और उन्हें जो भी चिकित्सीय देखभाल चाहिए हो वह उन्हें मिले।	अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बंधुआ श्रम पीड़ितों के निजता के अधिकार और अन्य अधिकारों का सम्मान करते हुए चिकित्सीय जाँच की जाए और अविलंब देखभाल प्रदान की जाए।

व्याख्या

NGO को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बचाए गए व्यक्तियों को बिना विलंब तुरंत चिकित्सीय देखभाल प्रदान की जाए और उनसे गरिमापूर्वक व्यवहार किया जाए।	अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि NGO प्रतिनिधि को इस प्रक्रिया के दौरान उपस्थित रहने की अनुमति हो। अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बचाए गए व्यक्तियों को चिकित्सीय जाँच के लिए भेजा जाए। अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बचाए गए व्यक्तियों के साथ गरिमापूर्वक व्यवहार किया जाए।

सस्मरणीय बिंदु

बच्चे की चिकित्सीय ज़रूरतें: जिन मामलों में बच्चे को उसके किसी भी परिजन या संरक्षक के बिना बचाया गया है ऐसे मामलों में, बच्चे को CWC भेजने से पहले उसकी चिकित्सीय ज़रूरतों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

पीड़ित-केंद्रित दृष्टिकोण: पीड़ितों से गरिमापूर्वक व्यवहार करें। पीड़ितों को बताएँ कि क्या हो रहा है क्योंकि नियोक्ता अक्सर उन्हें धमकाते हैं। बचाव दल को सभी चुनौतियों, जैसे भाषायी बाधा और सामाजिक व सांस्कृतिक अंतर, का सामना करने में प्रशिक्षित होना चाहिए और पीड़ित का विश्वास जीतने के तत्काल प्रयास करने चाहिए।

गोपनीयता: बंधुआ श्रमिक की पहचान गोपनीय रखी जानी चाहिए। किसी भी परिस्थिति में नाम, फोटोग्राफ और जानकारी न तो प्रकट की जानी चाहिए और न किसी भी प्रिंट और विज़ुअल मीडिया में प्रकाशित की जानी चाहिए। किशोरों और बच्चों को प्रदत्त सुरक्षा उपायों के लिए किशोर न्याय (बाल देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम की धारा 21 देखें।

महिला पीड़ित की चिकित्सीय जाँच: अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि महिला पीड़ित के मामले में चिकित्सीय जाँच, CrPC की धारा 53(2) में आवश्यक किए गए अनुसार किसी महिला चिकित्सक द्वारा या उसके पर्यवेक्षण में ही की जाए। महिला चिकित्सक की अनुपस्थिति में, अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि चिकित्सीय जाँच की प्रक्रिया के दौरान कोई महिला पुलिस अधिकारी या NGO की कोई महिला प्रतिनिधि उपस्थित रहे। चिकित्सीय जाँच करने से पहले पीड़ित से सूचित सहमति ली जानी चाहिए। NGO के प्रतिनिधि इस चरण के महत्व के बारे में बचाए गए व्यक्ति को परामर्श दे सकते हैं।

चरण 2 अल्पकालिक प्रावधान प्रदान करना

समयसीमा: बचाव से 48 घंटों के भीतर अल्पकालिक प्रावधान प्रदान किए जा सकते हैं।

NGO

NGO को उनकी रिहाई होने पर बुनियादी अल्पकालिक प्रावधान जैसे भोजन, कपड़े, अस्थायी आश्रय, और परिवहन, प्रदान करने में सहायता करनी चाहिए।

व्याख्या

NGO के प्रतिनिधियों को यह सुनिश्चित करके बचाए गए श्रमिकों की सहायता करनी चाहिए कि वे भोजन, कपड़े और अस्थायी आश्रय प्राप्त कर सकते हों, और उनकी रिहाई के बाद उन्हें परिवहन की सुविधा प्रदान करनी चाहिए।

चरण 3 बचाए गए बंधुआ श्रमिकों के लिए निर्वाह भत्ता प्राप्त करना

समयसीमा: बचाए गए बंधुआ श्रमिकों के लिए निर्वाह भत्ता और तात्कालिक सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया में 2 से 7 दिन लग सकते हैं।

NGO	अधिवक्ता
NGO को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बंधुआ श्रम पीड़ितों के रिहाई आदेश प्राप्त होते समय और उनके बचाव से सात दिन के भीतर उन्हें निर्वाह वित्तीय राहत (भत्ता) प्राप्त हो।	अधिवक्ता को बंधुआ श्रमिक रिहाई प्रमाणपत्र जारी किए जाते समय निर्वाह वित्तीय राहत के प्रावधान को अनिवार्य करने वाले क़ानूनी उपबंधों के बारे में SDM को बताना चाहिए।

व्याख्या

NGO प्रतिनिधियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बचाए गए बंधुआ श्रमिकों को रिहाई आदेश मिलते समय उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुसार निर्वाह भत्ते के रूप में ₹1,000.00 मिलें और हाल ही में नवीनीकृत CSS 23.07.2017 तक यथा संशोधित के तहत DM द्वारा ज़िला बंधुआ श्रमिक पुनर्वास निधि से प्रत्येक बचाए गए व्यक्ति को ₹20,000.00 की तत्काल सहायता प्रदान की जाए; उक्त सहायता राशियाँ उनके बचाव से 7 दिन के भीतर उन्हें दे दी जानी चाहिए।	अधिवक्ता को SDM का ध्यान सर्वोच्च न्यायालय के उन निर्णयों की ओर खींचना चाहिए जिनमें राज्य सरकार को यह निर्देश दिया गया है कि वह बचाए गए सभी बंधुआ श्रमिकों को उनकी रिहाई के तुरंत बाद ₹1,000.00 का निर्वाह भत्ता प्रदान करे। श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय, भारत सरकार ने नवीनीकृत बंधुआ श्रमिक पुनर्वास केंद्रीय क्षेत्र योजना-2021[1] के तहत इस तत्कालिक सहायता राशि को बढ़ाकर ₹30,000.00 कर दिया है।[2]

सस्मरणीय बिंदु

निर्वाह राहत, कुल क्षतिपूर्ति से अलग है। निर्वाह राहत का अर्थ उस राशि से है जो राज्य सरकार, बचाए गए व्यक्तियों को उनकी रिहाई के तुरंत बाद निर्वाह भत्ते के रूप में देती है। यह अंतरिम क्षतिपूर्ति के उन अन्य रूपों से अलग है जो निर्वाह के अतिरिक्त दिए जाते हैं और जिनका उपयोग पुनर्वास के लिए भी किया जा सकता है।

और जानें तथा क़दम उठाएँ

निर्णय विधि (केस क़ानून): पीपल्स यूनियन फ़ॉर सिविल लिबर्टीज़ बनाम तमिलनाडु राज्य एवं अन्य[3] में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि "बंधुआ श्रमिकों की पहचान और रिहाई होते ही, उनका अविलंब पुनर्वास किया जाना चाहिए" और निर्देश दिया है कि "राज्य सरकारें बंधुआ श्रमिक की पहचान होने पर उसे तुरंत ₹1,000.00 का निर्वाह भत्ता प्रदान करेंगी।"

रिहाई प्रमाणपत्र देते समय अंतरिम क्षतिपूर्ति: जब DM/SDM/RDO रिहाई आदेश और रिहाई प्रमाणपत्र जारी करें, तो अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रिहाई आदेश में तहसीलदार को श्रमिकों को ₹1,000.00 की अंतरिम क्षतिपूर्ति देने का निर्देश भी हो।

[1] बंधुआ श्रमिक पुनर्वास केंद्रीय क्षेत्र योजना, 2021, फ़ाइल सं. S-11012/01/2019 –BL, भारत सरकार, श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय, दिनांकित 07 फ़रवरी, 2022 और बंधुआ श्रमिक पुनर्वास केंद्रीय क्षेत्र योजना, 2016 में दिनांक 23.06.2017 को किए गए संशोधन।

[2] बंधुआ श्रमिक पुनर्वास केंद्रीय क्षेत्र योजना, 2021 के तहत, ₹5,000.00 की मूल क्षतिपूर्ति राशि को श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप दिनांकित 07 फ़रवरी, 2022 द्वारा बढ़ाकर ₹30,000.000 कर दिया गया है।

[3] (2004) 12 SCC 381; [2004] संलग्नक (2) SCR 64; निर्णय पाठ्य यहाँ पढ़ें।3

चरण 4 BLA फ़ंड और पुनर्वास फ़ंड प्राप्त करना

समयसीमा: BLA फ़ंड और पुनर्वास फ़ंड प्राप्त करने की प्रक्रिया में 3 से 12 माह लग सकते हैं।

NGO	अधिवक्ता
NGO को नक़दी और ग़ैरनक़दी, दोनों प्रकार के घटकों के लिए राज्य और केंद्र सरकार की ओर से उपलब्ध BLA फ़ंडों और अन्य पुनर्वास फ़ंडों हेतु बंधुआ श्रम पीड़ितों की ओर से अनुरोध पेश करना चाहिए।	अधिवक्ता को बंधुआ श्रम पीड़ितों की ओर से नक़दी और ग़ैरनक़दी, दोनों घटकों के लिए BLA फ़ंड प्राप्त करने में NGO को सलाह और सहायता देनी चाहिए।

व्याख्या

NGO प्रतिनिधियों को क्षतिपूर्ति के विभिन्न स्तरों की जानकारी होनी चाहिए। NGO को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य और केंद्र सरकारों से मिलने वाले पुनर्वास फ़ंड बचाए गए बंधुआ श्रमिकों तक शीघ्रता से पहुँच जाएँ। NGO प्रतिनिधियों को पुनर्वास अनुदान जारी करने हेतु ज़िम्मेदार संबंधित प्राधिकारी से संपर्क करके उनसे उक्त अनुदान जारी करने का अनुरोध करना चाहिए। यदि इससे बात न बने तो NGO प्रतिनिधि DM से संपर्क करके उनके हस्तक्षेप की माँग कर सकते हैं। NGO प्रतिनिधि RTI आवेदन दायर करके भी पुनर्वास फ़ंड जारी नहीं किए जाने का कारण पूछ सकते हैं। यदि इससे भी बात न बने, तो NGO प्रतिनिधि SHRC या NHRC के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं। यदि सारे उपाय विफल हो जाएँ, तो NGO प्रतिनिधियों को किसी अधिवक्ता संपर्क करके उससे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर करने को कहना चाहिए।	अधिवक्ता को RTI आवेदन, लिखित शिकायतें और रिट याचिकाएँ तैयार करनी चाहिए और उपयुक्त मंचों के पास ये दस्तावेज़ दायर करने चाहिए। अधिवक्ता को पुनर्वास अनुदान प्राप्त करने में NGO प्रतिनिधियों को सलाह व सहायता देनी चाहिए। अधिवक्ता को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि सरकारी अधिकारी प्रभावी पुनर्वास में NGO की भूमिका को स्वीकारें और उसे इस प्रक्रिया में शामिल करें।

सस्मरणीय बिंदु

- **क्षतिपूर्ति के प्रकार:** आपको क्षतिपूर्ति के इन तीन स्तरों की जानकारी होनी चाहिए:
  - **बंधुआ श्रमिक पुनर्वास निधियाँ:** पूर्व में, सभी बचाए गए बंधुआ श्रमिक केंद्र प्रायोजित क्षतिपूर्ति योजना 2000 के तहत क्षतिपूर्ति के अधिकारी थे [₹20,000.00: राज्य सरकार से ₹10,000.00 और केंद्र सरकार से ₹10,000.00], पर 2021 में उक्त योजना का नवीनीकरण कर दिया गया और उसे अब बंधुआ श्रमिक पुनर्वास केंद्रीय क्षेत्र योजना कहते हैं।[4] 2021 वाली योजना के तहत पुनर्वास सहायता राशि ₹1,00,000.00 प्रति वयस्क पुरुष लाभार्थी है। विशेष श्रेणियों के लाभार्थियों, जैसे महिलाएँ और बच्चे जिनमें अनाथ बच्चे और वे बच्चे शामिल हैं जिन्हें संगठित और बलात् भिखारी गिरोहों या बलात् बाल श्रम के अन्य रूपों से बचाया गया है, के लिए पुनर्वास पैकेज ₹2,00,000.00 का है जिसमें से ₹1,25,000.00 किसी वार्षिकी योजना में जमा किए जाएँगे और शेष राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डायरेक्ट बेनेफ़िट ट्रांसफ़र, DBT) के माध्यम से BL खाते को अंतरित की जाएगी। BL/चरम अभाव वाले बलात् श्रम/CSE, प्लेसमेंट एजेंसियों, अवैध व्यापार से बचाए गए हाशिये पर मौजूद व्यक्तियों जैसे ट्रांसजेंडर, महिलाओं, बच्चों या दिव्यांगजनों के मामले में या जिनमें DM उचित समझें उन परिस्थितियों में पुनर्वास पैकेज ₹3,00,000.00 का होता है जिसमें से ₹2,00,000.00 किसी वार्षिकी योजना में जमा किए जाएँगे और शेष राशि DBT के माध्यम से BL खाते को अंतरित की जाएगी।
- **SC/ST समुदाय के लिए विशेष फ़ंड:** जो बंधुआ श्रमिक SC/ST समुदाय का है वह राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित पृथक क्षतिपूर्ति का अधिकारी है। यह क्षतिपूर्ति तीन चरणों में प्राप्त होती है:

1. **प्राथमिकी पंजीकृत हो जाने पर:** प्राथमिकी पंजीकृत हो जाने पर SHO/IO बंधुआ श्रम के पीड़ित को अंतरिम राहत, जो कुल क्षतिपूर्ति की 25% होती है, जारी किए जाने के लिए संबंधित विभाग (समाज कल्याण विभाग) को लिखित अनुशंसा भेजने को बाध्य है।
2. **आरोपपत्र दायर होने पर:** अगला 25% अंश आरोपपत्र दायर होने पर बचाए गए श्रमिक को दिया जाना होता है।
3. **मुक़दमे के समापन पर:** आरोपित का दोष सिद्ध हो जाने पर, बचाए गए श्रमिकों को शेष 50% क्षतिपूर्ति मिलती है। हालाँकि, यदि आरोपित को निर्दोष घोषित किया जाता है तो यह शेष 50% ज़ब्त हो जाता है।

- **न्यायपालिका द्वारा अनुदत्त क्षतिपूर्ति**
  - **CrPC की धारा 357 के तहत:** यदि आरोपित का दोष सिद्ध हो जाता है, तो न्यायाधीश आरोपित से बंधुआ श्रम के पीड़ितों को क्षतिपूर्ति देने की कहकर दंड की मात्रा घटा सकते हैं। यह आवेदन अधिवक्ता द्वारा पीड़ित के नाम में किया जाना होता है।
  - **CrPC की धारा 357A के तहत:** इस धारा के तहत, न्यायाधीश के पास ज़िला या राज्य LSA (लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटीज़/विधिक सेवाएँ प्राधिकरण) की अनुशंसाओं के आधार पर केंद्र प्रायोजित पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना की अनुरूपता में अतिरिक्त क्षतिपूर्ति की अनुशंसा करने की शक्ति है।

- **बाल श्रमिकों को क्षतिपूर्ति:** अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि श्रम विभाग स्वामी से ₹20,000.00 का जुर्माना वसूलकर उसे बाल श्रमिक पुनर्वास सह कल्याण निधि नामक फ़ंड में जमा कर दे। अधिवक्ता को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जिन मामलों में किसी बच्चे को किसी फ़ैक्टरी या खान या अन्य ख़तरनाक कार्य में लगाया गया हो उन मामलों में बच्चे के स्थान पर बच्चे के परिवार के किसी वयस्क को कोई नौकरी प्रदान की जाए। जिन मामलों में वयस्क सदस्य को रोज़गार देना संभव न हो उन मामलों में उपयुक्त सरकार को प्रत्येक नियुक्त बच्चे के लिए प्रति माह ₹25,000.00 की राशि बाल श्रमिक पुनर्वास सह कल्याण निधि में जमा करनी चाहिए।[5] 12 जून, 2016 को बिहार के मुख्यमंत्री ने एक नई योजना शुरू की थी जिसमें बचाए गए प्रत्येक बाल श्रमिक (आयु 14 वर्ष से कम) को ₹25,000.00 दिए जाएँगे। इस योजना के तहत बच्चे को संबंधित CWC में पंजीकृत होना चाहिए और बाल श्रम ट्रैकिंग तंत्र के तहत नामांकित होना चाहिए।[6]

और जानें तथा क़दम उठाएँ

पुनर्वास के लिए NGO की उपस्थिति के बारे में निर्णय विधि (केस क़ानून): अधिवक्ता को अधिकारियों का ध्यान पी. शिव-स्वामी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य[7] में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की ओर खींचना चाहिए, जिसमें न्यायालय ने निम्नवत कहा है:

"मुक्त किए गए बंधुआ श्रमिकों को जो भी पुनर्वास प्रदान किया जाए, वह किसी समाजसेवा समूह या स्वयंसेवी एजेंसी...के प्रतिनिधि की उपस्थिति में प्रदान किया जाना चाहिए ताकि पुनर्वास के प्रावधानों का उक्त श्रमिकों तक वास्तव में पहुँचना सुनिश्चित किया जा सके।"

CrPC में क्षतिपूर्ति के बारे में क़ानून: पीड़ित क्षतिपूर्ति के बारे में और जानने के लिए CrPC की धाराएँ 357 और 357A पढ़ें।

पीड़ित क्षतिपूर्ति के बारे में निर्णय विधि (केस क़ानून): JVI के पीड़ित क्षतिपूर्ति निर्णय विधि रेडी रेकनर की कॉपी के लिए JVI से संपर्क करें; इस पुस्तिका में भारत में पीड़ित क्षतिपूर्ति से संबंधित मुख्य न्यायालयी निर्णयों का सारांश है।

पीड़ित क्षतिपूर्ति के लिए प्रारूप: परिशिष्ट 19 में दंड सुनाए जाने के दौरान मैजिस्ट्रेट/न्यायालय की ओर से पीड़ित क्षतिपूर्ति के लिए CrPC की धारा 357A(6) के तहत आवेदन दिया गया है।

[4] <https://labour.gov.in/whatsnew/central-sector-scheme-rehabilitation-bonded-labourer-2021>

[5] देखें एम सी मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य 1996 6 (SCC) 756.

[6] अधिक जानकारी के लिए पढ़ें: <http://indiatoday.intoday.in/story/nitish-announces-rs-25000-for-every-rescued-child-labour/1/690171.html>

[7] 1988 AIR 1863

चरण 5 बुनियादी सरकारी पात्रताएँ और पहचान दस्तावेज़ प्राप्त करना

समयसीमा: सरकारी पात्रताएँ और पहचान दस्तावेज़ प्राप्त करने की प्रक्रिया में 1 से 2 माह लग सकते हैं।

NGO	अधिवक्ता
NGO को बुनियादी सरकारी पहचान दस्तावेज़ जैसे राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और अन्य दस्तावेज़ प्राप्त करने में बंधुआ श्रम पीड़ितों की सहायता करनी चाहिए। NGO को भोजन, कपड़े, आश्रय, भू-अधिकार, शिक्षा, रोज़गार, स्वास्थ्य देखभाल, परामर्श और अन्य पात्रताओं से संबंधित सरकारी पात्रताओं तक पहुँचने में बंधुआ श्रम पीड़ितों की सहायता करनी चाहिए।	अधिवक्ता को सरकारी प्राधिकरणों से बुनियादी सरकारी पहचान दस्तावेज़ जैसे राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और अन्य दस्तावेज़ जारी करने की प्रार्थना करने के लिए NGO को सलाह देनी चाहिए और (यदि आवश्यक हो तो) बंधुआ श्रम पीड़ितों की सहायता करनी चाहिए। यदि उक्त सरकारी पात्रताओं से अनुचित ढंग से मना कर दिया जाए तो अधिवक्ता को सरकारी एजेंसियों से उक्त पात्रताएँ प्रदान करने की प्रार्थना करने में NGO और बंधुआ श्रम पीड़ितों को क़ानूनी सहायता देनी चाहिए।

व्याख्या

बंधुआ श्रम के पीड़ितों को प्रदान किए जा रहे इन पुनर्वास फ़ंडों के साथ-साथ, उन्हें निम्नलिखित भी प्रदान किए जाने चाहिए: ● गृह-स्थल का आवंटन ● सस्ते आवास की व्यवस्थाएँ ● पशु पालन, दुधारू पशु पालन, मुर्गी पालन, शूकर पालन, आदि ● वेतन रोज़गार, न्यूनतम वेतन लागू करना, आदि ● गौण वन उत्पादों का एकत्रण और प्रसंस्करण	अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि NGO और सरकारी प्राधिकारी पीड़ितों से पुनर्वास संबंधी विवरण एकत्र करें जिसमें नाम, आयु, और उस गाँव का पता शामिल है जहाँ श्रमिक बसना चाहता है। अधिवक्ता को पीड़ित से पूछ लेना चाहिए कि उसके पास राशन कार्ड, भू-पट्टा, मतदाता पहचान पत्र या समुदाय प्रमाणपत्र है या नहीं। अधिवक्ता को पीड़ित के लिए सरकारी पुनर्वास योजनाएँ प्राप्त करने में NGO प्रतिनिधि की सहायता करनी चाहिए।

व्याख्या

● PDS के तहत आवश्यक जिंसों की आपूर्ति, और ● आधार कार्ड ● राशन कार्ड ● भू-पट्टे ● समुदाय प्रमाणपत्र ● रोज़गार योजनाओं (मनरेगा) के तहत जॉब कार्ड ● संबंधित राज्य में लागू अन्य मुख्यमंत्री कल्याण योजनाएँ ● रोज़गार योजनाएँ ● चिकित्सा सुविधाएँ ● सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत अन्य लाभ ● बैंक खाते NGO को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उपर्युक्त पुनर्वास योजनाएँ संबंधित स्थानीय प्रशासन द्वारा बंधुआ श्रम पीड़ितों को प्रदान की जाएँ, और जहाँ भी आवश्यक हो वहाँ किसी अधिवक्ता की सहायता लेनी चाहिए। NGO को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आर्थिक पुनर्वास के साथ-साथ मनोसामाजिक पुनर्वास भी किया जाए। इस सब में, फ़ोकस केवल बंधुआ श्रमिक पर नहीं बल्कि पुनर्वास की ज़रूरत वाले उसके	अधिवक्ता को बचाए गए व्यक्तियों को उनके अधिकारों और उन अधिकारों तक पहुँचने के रास्तों के बारे में सुग्राही बनाकर उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। यदि रिहा हुआ बंधुआ श्रमिक अपने पैतृक गाँव लौटना चाहे तो अधिवक्ता को सरकार से उसे उसके पैतृक स्थान सुरक्षित वापस पहुँचाने का अनुरोध करना चाहिए।

पूरे परिवार पर भी होना चाहिए।

NGO प्रतिनिधि बंधुआ श्रमिकों की रिहाई होने पर बुनियादी प्रावधानों जैसे भोजन, कपड़े, अस्थायी आश्रय, और परिवहन, की प्रदायगी सुनिश्चित करेगा।

NGO को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रिहा हुए बंधुआ श्रमिकों को मुफ़्त क़ानूनी सहायता प्रदान की जाए। NGO को अधिवक्ता से सरकारी पात्रताएँ पाने के बारे में पीड़ितों को प्रशिक्षण प्रदान करने का अनुरोध करना चाहिए।

सस्मरणीय बिंदु

पर्याप्त आर्थिक पुनर्वास: NGO प्रतिनिधियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रिहा हुए बंधुआ श्रमिकों का आर्थिक पुनर्वास केंद्र प्रायोजित योजना के तहत मिलने वाले अनुदानों तक ही सीमित न रहे बल्कि उसके साथ-साथ सरकार के विभिन्न विभागों और अन्य एजेंसियों की ओर से उपलब्ध आर्थिक लाभों को एक साथ लाकर पीड़ित को प्रदान करने की पद्धति भी अपनाई जाए।
बचाए गए व्यक्तियों की बैंक खाता खोलने में सहायता करना: पुनर्वास अनुदान का भुगतान आम तौर पर चेक से होता है। NGO प्रतिनिधियों को बचाए गए बंधुआ श्रमिकों को किसी भी सरकारी बैंक में बैंक खाता खोलने में सहायता देनी चाहिए। NGO प्रतिनिधियों को बचाए गए बंधुआ श्रमिकों को प्रेरित करना चाहिए कि वे बचत करने की आदत को अपनाएँ। NGO प्रतिनिधियों को बचाए गए बंधुआ श्रमिकों को पुनर्वास अनुदान का उपयोग करके उसके कौशल से संबंधित संपत्ति (जैसे सिलाई मशीन, पशुधन, गाड़ी आदि) खरीदने में भी सहायता देनी चाहिए। हालाँकि, यह कार्य केवल बंधुआ श्रमिक के परामर्श से ही किया जाना चाहिए। सबसे अच्छा तरीक़ा यह है कि पुनर्वास योजनाएँ बंधुआ श्रमिकों के परामर्श से बनाई जाएँ।

पुनर्वास योजनाएँ: मोटे तौर पर, NGO को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बचाए गए व्यक्ति को निम्नलिखित प्रदान किया जाए:

योजना	ज़िम्मेदारी सरकारी प्राधिकरण
₹1,00,000.00 से ₹3,00,000.00 पुनर्वास फ़ंड[8]	ज़िला राजकोष, समाहर्ता, RDO, तहसीलदार, और/या उक्त फ़ंड के संवितरण हेतु स्थापित अन्य कोई निकाय।
राशन कार्ड	स्थानीय तालुक आपूर्ति कार्यालय
समुदाय (जाति) प्रमाणपत्र	तहसीलदार या उप-तहसीलदार
भू-पट्टा	राजस्व निरीक्षक, सर्वेक्षण विभाग और समाहर्ता/RDO/तहसीलदार
मनरेगा के ज़रिए रोज़गार	ग्रामीण विकास मंत्रालय, जिससे स्थानीय ग्राम पंचायत या कार्यक्रम अधिकारी या नामित प्राधिकरण के ज़रिए संपर्क किया जा सकता है
शिक्षा	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग; श्रम निरीक्षक (तब ज़िम्मेदार जब बाल श्रम शामिल हों)[9]
बंधुआ श्रमिक पुनर्वास केंद्रीय क्षेत्र योजना 2021[10]	ज़िला प्रशासन

[8] बंधुआ श्रमिक पुनर्वास केंद्रीय क्षेत्र योजना 2016 के अनुसार, नक़दी घटक श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 100% समर्थित है और ग़ैरनक़दी घटक संबंधित राज्य सरकार द्वारा।

[9] सेव द चाइल्डहुड फ़ाउंडेशन बनाम भारत संघ एवं अन्य। रिट याचिका (दीवानी) 1509, वर्ष 2006, यहाँ उपलब्ध: <http://stophumantrafficking-mha.nic.in/writereaddata/WPC-9767-2009-govt-of-delhi-vs-save-the-childhood-foundation.pdf>. CL/BL से बचाए गए बच्चों के नामांकन में उनकी भूमिका अत्यावश्यक है।

[10] बंधुआ श्रमिक पुनर्वास केंद्रीय क्षेत्र योजना, 2021, फ़ाइल सं. S-1101V2/01/2019 –BL, भारत सरकार, श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय, दिनांकित 07 फ़रवरी, 2022 और बंधुआ श्रमिक पुनर्वास केंद्रीय क्षेत्र योजना, 2016 में दिनांक 23.06.2017 को किए गए संशोधन।

और जानें तथा क़दम उठाएँ

मुक्त बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास हेतु केंद्र प्रायोजित योजना के तहत फ़ंड जारी करने हेतु NHRC के दिशानिर्देशों के बारे में पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।

सरकारी पात्रताएँ नियमावली: सरकारी पात्रताओं तक पहुँचने की विस्तृत, चरण-दर-चरण मार्गदर्शिका के लिए, इमैनुअल हॉस्पिटल एसोसिएशन की वेबसाइट https://www.eha-health.org/downloads/category/9-advocacy-manuals[11] पर पक्षधरता नियमावलियाँ (Advocacy Manuals) देखें।

विधिक सेवाएँ प्राधिकरण (लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी, LSA): यदि NGO कुछ सरकारी पात्रताओं तक पहुँचने में बचाए गए व्यक्ति की सहायता करने में विफल रहता है, तो NGO और बचाया गया व्यक्ति स्थानीय विधिक सेवाएँ प्राधिकरण के कार्यालय से मुफ़्त क़ानूनी सहायता ले सकते हैं। विधिक सेवाएँ प्राधिकरण की भूमिका के बारे में और जानने के लिए, विधिक सेवाएँ प्राधिकरण अधिनियम, 1987 पढ़ें।

भू-पट्टा: पट्टा एक क़ानूनी सरकारी दस्तावेज़ होता है जो भूस्वामी के नाम में जारी किया जाता है। सरकार ने कम आय वाले परिवारों द्वारा उपयोग के लिए भूमि अलग रख छोड़ी है। रिहाई प्रमाणपत्र पाने वाले बंधुआ श्रमिक भू-पट्टा हेतु आवेदन करने के पात्र हैं। भू-पट्टा पाने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी के लिए JVI से संपर्क करें।

चरण 6 बंधुआ श्रम पीड़ितों को वापस घर भेजना

समयसीमा: बंधुआ श्रमिकों को वापस घर भेजने की प्रक्रिया में 2 दिन से 1 सप्ताह तक लग सकता है।

NGO	अधिवक्ता
NGO को बंधुआ श्रम पीड़ितों को उनके परिवार/पैतृक स्थान या किसी वैकल्पिक सुरक्षित स्थान तक सुरक्षित ढंग से पहुँचने में उनकी सहायता करनी चाहिए, इसमें अवयस्क पीड़ितों के लिए CWC द्वारा यथा निर्धारित अनुसार गृह सत्यापन रिपोर्ट पूरी करना शामिल है।	अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करने के लिए NGO प्रतिनिधियों को सलाह देनी चाहिए कि बहाली की प्रक्रिया क़ानून द्वारा स्थापित कार्यविधियों के अनुसार संचालित हो।

व्याख्या

बंधुआ बाल श्रमिकों और किशोरों के मामले में NGO गृह सत्यापन अध्ययन संचालित कर सकता है और संबंधित प्राधिकारियों के पास रिपोर्ट जमा कर सकता है।

अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाल बंधुआ श्रमिकों को CWC के समक्ष प्रस्तुत किया जाए और उपयुक्त देखभाल गृह में रखा जाए। उक्त गृह से बाल बंधुआ श्रमिक की रिहाई तब तक नहीं होने देनी चाहिए जब तक CWC के समक्ष गृह जाँच रिपोर्ट न प्रस्तुत कर दी जाए। अधिवक्ता को गृह जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत होने से पहले बचाए गए बच्चे की रिहाई का विरोध करना चाहिए।

11 इमैनुअल हॉस्पिटल एसोसएिशन द्वारा वकिसति और हाल ही में JVI द्वारा अपडेट की गई।

सस्मरणीय बिंदु

बाल श्रमिकों की घर वापसी में CWC की भूमिका: यदि बाल श्रमिक उनके माता-पिता के बिना बचाए गए हैं, तो ऐसे में यह भूमिका CWC की है कि वह बच्चे को उसके मूल स्थान वापस भेजने हेतु उठाए जाने वाले क़दम तय करने के लिए गृह जाँच रिपोर्टों के ज़रिए उनकी पृष्ठभूमियों की पर्याप्त जाँच करे। जिस CWC के क्षेत्राधिकार के भीतर बचाव कार्य हुआ है वह बच्चे को बच्चे के मूल स्थान पर क्षेत्राधिकार वाली CWC वापस भेजने के लिए किशोर न्याय अधिनियम के उपबंधों के तहत उपयुक्त आदेश पारित करेगी। यह कार्य जल्द-से-जल्द किया जाना चाहिए ताकि बच्चे की तुरंत वापसी सुनिश्चित की जा सके। जल्द-से-जल्द वापसी सुनिश्चित करने में NGO CWC की सहायता कर सकता है।

बच्चे की अभिरक्षा माता-पिता को देने के लिए CWC का आदेश: बच्चे के कल्याण और पीड़ित की बहाली की ज़िम्मेदारी CWC पर है। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 37 के तहत, CWC गृह जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत हो जाने के बाद बच्चे को बच्चे के माता-पिता या अभिभावक की अभिरक्षा में सौंपने का आदेश दे सकती है।

सीमापार/अंतरराज्यीय अवैध व्यापार: सीमापार या अंतरराज्यीय अवैध व्यापार के मामले में, दोनों देशों के हितधारकों और NGO को बचाई गईं महिलाओं, बच्चों या पुरुषों को तुरंत उनके मूल देश वापस भेजने के प्रभावी उपाय करने चाहिए।
नेपाल या बांग्लादेश को वापसी: नेपाल या बांग्लादेश को सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करना चाहिए:

1. पहला चरण है नेपाल और बांग्लादेश के वाणिज्य महादूत (कौंसल जनरल) से मुलाक़ात। NGO प्रतिनिधियों को कौंसल के प्रतिनिधियों को अपना परिचय और मामले की जानकारी देनी चाहिए। वाणिज्य दूतावास (कौंसुलेट) से संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। हर कौंसुलेट के अपने कुछ नियम और विनियम होते हैं जिनके तहत वापसी की प्रक्रिया पूरी की जाती है। NGO प्रतिनिधियों का उक्त प्रक्रिया और ज़रूरी दस्तावेज़ों से परिचित होना ज़रूरी है। NGO प्रतिनिधियों को वापसी की प्रक्रिया को आरंभ से अंत तक पूरा करने के लिए भारत सरकार की लागू एजेंसी और कौंसुलेटों के बीच एक संपर्क का कार्य करना चाहिए।

2. यदि बाल श्रमिक उनके माता-पिता के बिना बचाए गए हों तो NGO प्रतिनिधियों को CWC से यह अनुरोध करना चाहिए कि वह गृह अध्ययन रिपोर्ट का आदेश दे, और रिपोर्ट पूरी हो जाने पर, रिपोर्ट पर निर्भर करते हुए वापसी का आदेश दे।

3. NGO प्रतिनिधियों को गृह अध्ययन के संचालक NGO से भी संबंध बनाने चाहिए। NGO प्रतिनिधियों को विश्वसनीय संगठनों का एक डेटाबेस बनाकर रखना चाहिए और CWC को यह संस्तुति करनी चाहिए कि गृह अध्ययन के संचालन और वापसी में सहायता के लिए वह इन संगठनों से संपर्क करे।

अंतरराष्ट्रीय वापसी के लिए ज़रूरी महत्वपूर्ण दस्तावेज़: निम्नलिखित एजेंसियों से निम्नलिखित दस्तावेज़ चाहिए होते हैं:
- राष्ट्रीयता का सत्यापन – मूल देश
- वापसी का आदेश और सहमति पत्र – गृह मंत्रालय, भारत
- अनापत्ति प्रमाणपत्र – महिला एवं बाल विकास विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ़ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, DWCD) के ज़िला कार्यालय और राज्य कार्यालय
- यात्रा दस्तावेज़ – मूल देश
- रिहाई आदेश – देखभाल गृह
- यात्रा हेतु स्वीकृति की अधिसूचना – विदेशी पंजी कार्यालय (फ़ॉरेन रजिस्ट्री ऑफ़िस), राज्य सरकार
- भारत छोड़ने की अनुमति – भारत सरकार
- मूल देश से मूल देश में पुनः प्रवेश की अनुमति लेने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। यदि बचाए गए व्यक्ति का देश उसे अपना नागरिक मानने को तैयार नहीं है तो भारत सरकार उस व्यक्ति की वापसी के लिए अधिक कुछ नहीं कर सकती है। NGO यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है कि मूल देश बचाए गए व्यक्ति की राष्ट्रीयता को मान्यता दे सके और उसकी वापसी की अनुमति देने पर सहमत हो जाए।

NGO को सभी ज़रूरी दस्तावेज़ों की प्रतियाँ माँगनी चाहिए। NGO को सभी संबंधित पक्षों को बचाए गए व्यक्ति के बारे में ज़रूरी जानकारी देनी चाहिए।

और जानें तथा क़दम उठाएँ

पुनर्वास परिवार प्रारूप: पुनर्वास परिवार प्रारूप एक नमूना **परिशिष्ट 18** में है। CWC को गृह जाँच के संचालक NGO के नाम का स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए।

चरण 7 निजी क्षेत्र के संसाधनों की पहुँच सुगम बनाना

समयसीमा: निजी क्षेत्र के संसाधनों की पहुँच सुगम बनाने की प्रक्रिया में 1 से 2 माह लग सकते हैं।

NGO

NGO को नक़दी (बंधुआ श्रम और वेश्यालय आदि से बचाए गए पीड़ितों के पुनर्वास के लिए हाल ही में नवीनीकृत CSS-2021 के तहत ₹3,00,000.00) और ग़ैरनक़दी घटकों जैसे शिक्षा, रोज़गार, स्वास्थ्य देखभाल, परामर्श और अन्य पात्रताओं से संबंधित निजी क्षेत्र (NGO और व्यवसाय) के उपलब्ध संसाधनों तक पहुँचने में बंधुआ श्रम के पीड़ितों की सहायता करनी चाहिए।

व्याख्या

NGO प्रतिनिधि ऐसे भागीदार संगठनों और संबंधित हितधारकों जो वैकल्पिक आजीविका, अंतरिम आश्रय, दस्तावेज़, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, परामर्श और अन्य पात्रताएँ पाने में सहायता प्रदान कर सकते हैं, के साथ संबंध स्थापित करके बंधुआ श्रमिकों का निजी सुविधाओं तक पहुँचना सुगम बना सकते हैं। फ़ॉलो-अप मुलाक़ातों के संबंध में नीचे देखें।

चरण 8 स्थानीय BLA सतर्कता समितियों को संलग्न करना

समयसीमा: स्थानीय BLA सतर्कता समितियों को संलग्न करने में एक से दो माह लग सकते हैं।

NGO

NGO को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिस ज़िले में बंधुआ श्रम पीड़ित निवास करता है वहाँ के ज़िला प्रशासन ने एक सतर्कता समिति स्थापित की हुई हो, और उसे पीड़ितों के निरंतर पुनर्वास और संरक्षण को सुगम बनाने के लिए उक्त सतर्कता समिति के साथ कार्य करना चाहिए।

अधिवक्ता

यदि बंधुआ श्रम सतर्कता समिति पहले से मौजूद नहीं है तो अधिवक्ता को ज़िला प्रशासन से उक्त समिति के गठन की प्रार्थना करने में NGO की सहायता करनी चाहिए।

व्याख्या

BLA की धारा 13 के अनुसरण में, हर राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने को ज़िम्मेदार है कि राज्य के हर ज़िले में सतर्कता समितियों का गठन हुआ हो और वे प्रभावी ढंग से संचालन कर रही हों। सतर्कता समितियों का गठन बंधुआ श्रम पीड़ितों के समग्र पुनर्वास के लिए किया जाता है और ज़िलाधिकारी उनके अध्यक्ष होते हैं।

जिन ज़िलों और अनुमंडलों में सतर्कता समितियों का गठन नहीं हुआ है वहाँ NGO को ज़िला प्रशासन के समक्ष उक्त समितियों के गठन की तरफ़दारी करनी चाहिए और उन्हें बंधुआ श्रम की व्यापकता पर सर्वेक्षण करने को प्रेरित करना चाहिए। NGO प्रतिनिधियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पीड़ितों से गरिमापूर्वक और सहानुभूति के साथ व्यवहार किया जाए, अपराधियों की तरह नहीं।

अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर ज़िले में BLA के अनुसार एक सतर्कता समिति का गठन हुआ हो।

सस्मरणीय बिंदु

NGO प्रतिनिधियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि देखभाल सेवाएँ निर्धारित समयसीमा के भीतर प्रदान की जाएँ। सबसे अच्छा तरीक़ा यह है कि दो वर्षों तक देखभाल सेवाएँ प्रदान की जाएँ, और आवश्यकतानुसार इस अवधि को बढ़ाया जा सकता है। हालाँकि यह अपेक्षित है कि सतर्कता समिति BLA की धारा 14 के तहत मुक्त बंधुआ श्रमिकों के सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास का प्रावधान करेगी, पर NGO क्षतिपूर्ति के बारे में सतर्कता समिति और ज़िला प्रशासन से नियमित रूप से मुलाक़ात करके पूछते रह सकते हैं। NGO पर्याप्त पुनर्वास सहायता सुनिश्चित करने में ज़िला प्रशासन और सतर्कता समितियों की सहायता कर सकता है।

और जानें तथा क़दम उठाएँ

बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास में ज़िलाधिकारी की भूमिकाओं और ज़िम्मेदारियों के बारे में जानने के लिए अध्याय 4 देखें। बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के लिए अध्याय 6 देखें।

चरण 9 पीड़ितों की स्थायी स्वतंत्रता सुनिश्चित करना

समयसीमा: पीड़ितों की स्थायी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने में दो वर्ष तक लग सकते हैं।

NGO	अधिवक्ता
NGO को बचाव से लेकर कम-से-कम 24 माह तक बंधुआ श्रम पीड़ित के साथ निरंतर संबंध बनाए रखना चाहिए ताकि स्थायी पुनर्वास और स्थायी स्वतंत्रता सुनिश्चित हों।	

व्याख्या

NGO प्रतिनिधि को रिहाई के बाद श्रमिक को उसके परिवार/पैतृक स्थान में बहाल करने के प्रयास करने चाहिए। बाल श्रमिक के मामले में, बहाली से पहले बाल कल्याण समिति से आदेश प्राप्त करना चाहिए। NGO को समय-समय पर आवश्यक फ़ॉलो अप करना चाहिए। बचाए गए पीड़ितों को उनके कल्याण लाभ और क्षतिपूर्ति मिले यह सुनिश्चित करने के लिए NGO को परिवार के आकलन करने चाहिए, हर पीड़ित की परिस्थिति के अनुसार अलग उपचार योजना तैयार करनी चाहिए, और ज़िला प्रशासन के साथ समीपता से कार्य करना चाहिए। पीड़ितों को उनके अपने-अपने बैंक खाते खोलने में भी सहायता दी जाएगी ताकि सरकारी क्षतिपूर्ति के चेक जमा किए जा सकें।

अधिवक्ता को यह सुनिश्चित करने के लिए NGO प्रतिनिधियों को सलाह देनी चाहिए कि बहाली की प्रक्रिया क़ानून द्वारा स्थापित कार्यविधियों के अनुसार संचालित हो, न कि बलपूर्वक।

सस्मरणीय बिंदु

पर्याप्त परामर्श: यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि रिहा श्रमिकों से परामर्श किया जाए और यदि वे अपने पैतृक गाँव जाना नहीं चाहते हों तो उन्हें वहाँ जाने पर विवश न किया जाए। अवयस्क के मामले में, उसकी वैयक्तिक देखभाल योजना तैयार की जानी चाहिए और CWC को सौंपी जानी चाहिए। NGO पीड़ितों के लिए एक देखभाल योजना भी बनाकर रख सकता है और यदि कहा जाए तो उसे मैजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। NGO प्रतिनिधि को श्रमिक को उसके परिवार और समुदाय में वापस मिलाने के प्रयास भी करने चाहिए।

बहाली का लक्ष्य: बहाली का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि रिहा श्रमिक किसी ऐसे स्थान पहुँच जाए जहाँ वह स्थायित्व के साथ अपने भरण-पोषण की व्यवस्था कर सके।

गृह अध्ययन पूरा करना: NGO प्रतिनिधियों को बाल श्रमिकों के लिए गृह अध्ययन करने से पहले CWC से अनुमति लेनी चाहिए। गृह अध्ययन के दौरान, बच्चे के पैतृक स्थान जाने वाले प्रतिनिधियों को यह सावधानी बरतनी चाहिए कि उनसे समुदाय को ऐसी कोई भी जानकारी न मिलने पाए जिससे बच्चे पर कलंक लगे, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे का परिवार और समुदाय घर लौटने पर उसे अपनाने से पीछे हट जाएँ। NGO प्रतिनिधि को दोबारा अवैध व्यापार के जोखिम का आकलन करना चाहिए और रिपोर्ट व अनुशंसा CWC के सामने पेश करनी चाहिए।

नियोजन: अवैध व्यापार के पीड़ितों की घर वापसी और उन्हें वापस घर-समुदाय में मिलाना एक लंबी प्रक्रिया होती है जिसकी योजना बनाना ज़रूरी होता है, और इसमें पीड़ित की अपनी विशिष्ट अल्पकालिक व दीर्घकालिक ज़रूरतों का और उसने जो प्राथमिकताएँ ज़ाहिर की हों उनका ध्यान रखा जाता है। प्रयास ऐसे हों जो दंडात्मक न हों और पीड़ितों के अधिकारों की सुरक्षा पर लक्षित हों।

और जानें तथा क़दम उठाएँ

बंधुआ श्रम हस्तक्षेपों में दी जाने वाली देखभाल सेवाओं की एक जाँचसूची परिशिष्ट 17 में है।

JVI
JUSTICE
VENTURES
INTERNATIONAL